

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: प्रस्तर-1.1; पृष्ठ 1)
राज्य की रूपरेखा

क्र. सं.	विवरण		आँकड़े
1.	क्षेत्रफल		53,483 वर्ग किमी
	क.	पर्वतीय	46,035 वर्ग किमी
	ख.	मैदान	7,448 वर्ग किमी
	ग.	वनीय	38,117 वर्ग किमी
2.	जनपद (10 पर्वतीय क्षेत्र तथा 3 मैदानी क्षेत्र)		13 जनपद
3.	जनसंख्या		
	क.	2001 की जनगणना के अनुसार	84.89 लाख
	ख.	2011 की जनगणना के अनुसार	100.86 लाख
4.	क.	जनसंख्या घनत्व (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व =324 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	159 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
	ख.	जनसंख्या घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी)	189 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
5.	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी पी एल) (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.26 प्रतिशत
6.	क.	साक्षरता (2001 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=64.80 प्रतिशत)	71.62 प्रतिशत
	ख.	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत=73.00 प्रतिशत)	78.80 प्रतिशत
7.	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत=28 प्रति 1,000 जीवित जन्म)		24
8.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=69.70)		70.60
9.	एच डी आई मूल्य उत्तराखण्ड (एच डी आर 2021) (अखिल भारतीय औसत=0.633)		0.72
10.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ) 2021-22 प्रचलित दरों पर (₹ करोड़ में)		2,53,832
11.	प्रति व्यक्ति स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22)	उत्तराखण्ड	6.29
	प्रति व्यक्ति स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22)	अखिल भारतीय	8.86
12.	स रा घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22) प्रचलित दरों पर	उत्तराखण्ड	7.57
	स घ उ सी ए जी आर (2011-12 से 2021-22) प्रचलित दरों पर	अखिल भारतीय	10.11
13.	जनसंख्या वृद्धि (2012 से 2022)	उत्तराखण्ड	12.70
		अखिल भारतीय	12.12

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: प्रस्तर-2.3.3 एवं 2.6; पृष्ठ 24 एवं 35)

राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
भाग अ. प्राप्तियाँ						
1. राजस्व प्राप्तियाँ	27,105	31,216	30,723	38,205	43,057	
(i) कर राजस्व	10,165 (37)	12,188 (39)	11,513 (37)	11,938 (31)	14,176 (33)	
एस जी एस टी	1,972 (19)	4,802 (39)	4,931 (43)	5,053 (42)	5,973 (42)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,703 (37)	1,883 (15)	1,811 (16)	1,858 (16)	2,302 (16)	
राज्य आबकारी	2,262 (22)	2,871 (24)	2,727 (24)	2,966 (25)	3,258 (23)	
वाहनों पर कर	816 (8)	909 (8)	908 (8)	741 (6)	889 (6)	
स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	882 (9)	1,015 (8)	1,072 (9)	1,107 (9)	1,488 (10)	
भू-राजस्व	24 (-)	34 (-)	24 (-)	17 (0)	40 (0)	
माल एवं यात्रियों पर कर	--	--	--	00 (0)	00 (0)	
अन्य	506 (5)	674 (6)	40 (-)	196 (2)	226 (2)	
(ii) करेत्तर राजस्व	1,770 (7)	3,310 (10)	3,999 (13)	4,171 (11)	2,756 (6)	
(iii) केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश	7,085 (26)	8,011 (26)	6,902 (22)	6,569 (17)	9,906 (23)	
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	8,085 (30)	7,707 (25)	8,309 (27)	15,527 (41)	16,219 (38)	
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	--	0.01	--	0.20	--	
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	34	27	19	23	17	
4. कुल राजस्व एवं ऋणत्तर पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	27,139	31,243	30,742	38,228	43,074	
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	7,526	7,275	6,148	9,787	7,473	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	7,412 (98)	7,170 (99)	5,765 (94)	6,728 (69)	3,787 (51)	
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	--	--	313 (05)	--	--	
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	114 (2)	105 (1)	70 (01)	3,059 (31)	3,686 (49)	
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	34,665	38,518	36,890	48,015	50,547	
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	105	217	94	02	436	
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	37,571	41,790	45,330	47,563	52,779	
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	72,341	80,525	82,314	95,580	1,03,762	
भाग ब. व्यय/संवितरण¹						
10. राजस्व व्यय	29,083	32,196	32,859	37,091	38,929	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	25,570(88)	28,296 (88)	28,893 (88)	32,678 (88)	35,870 (92)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	3,513 (12)	3,900 (12)	3,966 (12)	4,413 (12)	3,059 (8)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतानों सहित)		12,409 (43)	13,525 (42)	13,844 (42)	14,826 (40)	15,668 (40)
सामाजिक सेवाएँ		10,929 (37)	12,209 (38)	12,593 (39)	14,762 (40)	15,573 (40)
आर्थिक सेवाएँ		4,276 (15)	5,003 (16)	4,704 (14)	5,571 (15)	6,148 (16)
सहायता अनुदान एवं अंशदान		1,469 (5)	1,459 (4)	1,717 (5)	1,932 (5)	1,540 (4)

¹ वित्त पोषण का आयोजनागत और आयोजनेत्तर विभाजन, वर्ष 2017-18 से बंद कर दिया गया है और राज्य निधि व्यय और केंद्रीय सहायता में द्विविभाजित किया जा रहा है।

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
11. पूँजीगत व्यय	5,914	6,184	5,414	6,538	7,534	
आयोजनागत	राज्य निधि व्यय	4,274 (72)	3,533 (57)	3,055 (56)	3,192 (49)	4,335 (58)
आयोजनेत्तर	केंद्रीय सहायता	1,640 (28)	2,651 (43)	2,359 (44)	3,346 (51)	3,199 (42)
सामान्य सेवाएँ		804 (14)	454 (7)	362 (7)	755 (11)	1,085 (14)
सामाजिक सेवाएँ		1,086 (18)	1,099 (18)	1,610 (30)	1,938 (30)	2,262 (30)
आर्थिक सेवाएँ		4,024 (68)	4,631 (75)	3,442 (63)	3,845 (59)	4,187 (56)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	77	183	126	38	347	
13. राज्य का कुल व्यय (10+11+12)	35,074	38,563	38,399	43,667	46,810	
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,721	2,057	2,131	2,921	3,386	
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)		1,681	2,013	2,084	2,550	3,330
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन		--	--	--	313	--
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम		40	44	47	58	56
15. आकस्मिकता निधि को विनियोग	-250	0	0	0	0	
16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	36,545	40,620	40,530	46,588	50,196	
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	482	107	26	226	212	
18. लोक लेखा संवितरण	35,366	39,947	42,569	47,261	53,304	
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	72,393	80,674	83,125	94,075	1,03,712	
भाग स. घाटा/आधिक्य						
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+) (1-10)	(-) 1,978	(-) 980	(-) 2,136	(+) 1,114	(+) 4,128	
21. राजकोषीय घाटा (4-13)	7,935	7,320	7,657	5,439	3,736	
22. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23)	(-) 3,948	(-) 2,845	(-) 3,153	(-) 666	1,203	
भाग द. अन्य आँकड़े						
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	3,987	4,475	4,504	4,773	4,939	
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	3,664	4,466	4,800	6,441	5,858	
25. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपभोग (दिवस)	90	167	140	96	6	
26. अर्थोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	5.24	6.08	5.18	5.21	0.06	
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स रा घ उ)[@]	2,20,222	2,30,327	2,36,988	2,34,660	2,53,832	
28. बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्ष के अन्त में)	51,831	58,039	65,982	73,751	77,024	
29. बकाया प्रत्याभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज रहित)	1,173	1,311	854	729	374	
30. प्रत्याभूत अधिकतम धनराशि (वर्ष के अन्त में)	2,105	2,105	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या (संख्या में)	260	202	210	143	75	
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी (₹ करोड़ में)	631.94	480.30	627.08	437.61	357.00	
भाग य. राजकोषीय सुदृढ़ता-सूचक (अनुपात में)						
I. संसाधन का जुटाव						
स्वयं का कर राजस्व/स रा घ उ	0.046	0.053	0.049	0.051	0.056	
स्वयं का करेत्तर राजस्व/स रा घ उ	0.008	0.014	0.017	0.018	0.011	
केन्द्रीय अन्तरण/स रा घ उ	0.069	0.068	0.064	0.094	0.103	
II. व्यय प्रबन्धन						
कुल व्यय/स रा घ उ	0.159	0.167	0.162	0.186	0.184	
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	1.29	1.24	1.25	1.14	1.09	
राजस्व व्यय/ कुल व्यय	0.83	0.83	0.86	0.85	0.83	

*नोट: बदला हुआ प्रपत्र

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.34	0.35	0.37	0.38	0.38
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.24	0.25	0.21	0.22	0.22
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.17	0.16	0.14	0.15	0.16
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.15	0.15	0.13	0.13	0.14
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.009	(-) 0.004	(-) 0.009	(+) 0.005	(+) 0.016
राजकोषीय घाटा /स रा घ उ	(-) 0.036	(-) 0.032	(-) 0.032	(-) 0.023	(-) 0.015
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स रा घ उ	(-) 0.018	(-) 0.012	(-) 0.013	(-) 0.003	(+) 0.005
राजस्व आधिक्य (घाटा)/राजकोषीय घाटा	(+) 0.249	(+) 0.134	(+) 0.279	(-) 0.205	(-) 1.105
निवल प्राथमिक राजस्व शेष/स रा घ उ	(-) 0.027	(-) 0.023	(-) 0.028	(-) 0.015	(-) 0.002
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय दायित्व/स रा घ उ	0.24	0.25	0.28	0.31	0.30
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्ति	1.91	1.86	2.15	1.93	1.79
ऋण पुनर्भुगतान से ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत में)	22.87	28.27	34.66	29.85	45.31
V अन्य राजकोषीय सुदृढ़ता सूचक					
निवेश का प्रतिफल	22.69	18.69	14.08	40.02	35.05
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.94	0.93	0.90	0.93	0.98

कोष्ठकों के आँकड़े प्रत्येक उपशीर्षों के योग से प्रतिशतता (पूर्णांक) को प्रस्तुत करते हैं।

@ आर्थिक सांख्यिकी निदेशालय, उत्तराखण्ड सरकार की वेबसाईट से स रा घ उ आकलन से चालू मूल्य पर स रा घ उ के आँकड़े प्राप्त किये गये हैं।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: प्रस्तर-3.1; पृष्ठ 81)

बजट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों की शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	एक वर्ष का 'लेखा' या 'वास्तविक'	1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्रा, अंत में लेखा प्राधिकरण की पुस्तकों में दर्ज की गई (जैसाकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अंतिम लेखों से तात्पर्य अलेखापरीक्षित लेखों से है।
2.	किसी योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति'	व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक स्वीकृति। बजट में निधि के प्रावधान के साथ, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिए वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है।
3.	वार्षिक वित्तीय विवरण	बजट के रूप में संदर्भित का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण।
4.	विनियोजन	संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि के अलग-अलग प्राथमिक इकाई के तहत व्यय के लिए प्राधिकृत राशियाँ उसमें से एक हिस्सा, जो संवितरण अधिकारी के निपटान में रखा जाता है।
5.	भारित व्यय	ऐसा व्यय जिसे संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के वोट के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6.	भारत/राज्य की समेकित निधि	संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा जुटाए गए ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान में प्राप्त सभी धन भारत और राज्य के समेकित निधि का निर्माण करते हैं। इस निधि से निकले किसी भी धन को कानून के अनुसार और संविधान में प्रदान किए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7.	आकस्मिकता निधि	यह एक अग्रदाय की प्रकृति का है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अपने प्राधिकरण को लंबित, एक वर्ष के दौरान होने वाले अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए कार्यकारी/सरकार को अग्रिम प्रदान करना है। संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा अनुपूरक मांगों के माध्यम से अनुमोदित करने के बाद, आकस्मिकता निधि से निकाली गई राशि को वापस ले लिया जाता है।
8.	नियंत्रक अधिकारी (बजट)	एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय और/या राजस्व के संग्रह को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। इस शब्दावली में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल हैं।
9.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	राज्य सरकार की ओर से देयको के आहरण एवं भुगतान करने हेतु कार्यालय प्रमुख और अन्य अधिकारी भी जो कि राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा नामित किया गया है। इस शब्द में एक विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10.	अतिरिक्त अनुदान	अतिरिक्त अनुदान का अर्थ है, मूल/पूरक अनुदान के माध्यम से अनुमति दिए गए प्रावधान के ऊपर और उसके बाद व्यय की मात्रा, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के तहत संसद/राज्य विधानमंडल से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करके नियमितीकरण की आवश्यकता है।

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
11.	लोक लेखे	संविधान के अनुच्छेद 266 (2) में उल्लिखित लोक लेखा से अर्थ है। जमा और संवितरण जैसे जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनती हैं, लोक लेखे में शामिल हैं। लोक लेखे से संवितरण संसद/ राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं, क्योंकि वे भारत/राज्य के समेकित निधि से जारी किए गए धन नहीं हैं।
12.	पुनर्विनियोजन	एक ही अनुदान या भारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विनियोग की एक ईकाई में हुई बचत को दूसरी ईकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय हेतु हस्तान्तरित करना।
13.	पुनरीक्षित अनुमान	एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का एक अनुमान, जो उस वर्ष के लिए तैयार किया गया है, जिसमें शेष वर्ष के लिए प्रत्याशित पहले से दर्ज किए गए लेन-देन और पहले से ही जारी किए गए आदेश।
14.	अनुदान के लिए अनुपूरक माँग	विधायिका के समक्ष रखी गई अनुपूरक माँगों के विवरण का अर्थ है, उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से अधिक और एक वित्तीय वर्ष के संबंध में आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाना। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नकदी हो सकती है।
15.	मुख्य शीर्ष	राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को रिकॉर्ड करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य शीर्ष है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से समेकित निधि के भीतर आने वाला, आमतौर पर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जैसे सरकार के एक कार्य से मेल रखता है।
16.	उप-मुख्य शीर्ष	एक मुख्य शीर्ष और उसके अधीन लघु शीर्षों के बीच शुरू किए गए लेखों का एक मध्यवर्ती शीर्ष है, जब लघु शीर्ष कई हैं और ऐसे मध्यवर्ती शीर्ष के तहत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।
17.	लघु शीर्ष	लघु शीर्ष से तात्पर्य एक मुख्य शीर्ष या उप-मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाए गए कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए एक "प्रोग्राम" को दर्शाता है।
18.	उप-शीर्ष	मतलब लघु शीर्ष के अधीनस्थ लेखा की एक इकाई, जो सामान्य रूप से उस लघु शीर्ष या प्रोग्राम के तहत स्कीम या संगठन को दर्शाता है।
19.	मुख्य निर्माण	मुख्य निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक है।
20.	लघु निर्माण	लघु निर्माण से तात्पर्य उस मूल निर्माण से है, जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों को छोड़कर समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होती है।
21.	संशोधित अनुदान या विनियोजन	इसका मतलब विनियोग के किसी भी उप-शीर्ष को आवंटित धनराशि से है क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनःविनियोग या एक अतिरिक्त या पूरक अनुदान की मंजूरी के बाद आता है।
22.	अनुपूरक अतिरिक्त अनुदान विनियोजन	इसका अर्थ है कि उस वर्ष के लिए पहले विनियोग अधिनियम में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए एक वित्तीय वर्ष के दौरान विनियोग अधिनियम में शामिल एक प्रावधान।
23.	नए व्यय के लिए अनुसूची	का अर्थ है आगामी वर्ष के लिए बजट में शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित नए व्यय की वस्तुओं का विवरण।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भ: प्रस्तर-5.2; पृष्ठ 147)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. (जिन्होंने 2019-20 और उसके बाद के अपने लेखे जमा किए) से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7(ब)	7(स)	7 (द)	8=6(द)+7(द)
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ													
1	उ. पा. कॉ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	1489.91	0.00	0.00	1489.91	7.83	0.00	1431.13	1438.96	2928.87
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	654.88	0.00	0.00	654.88	178.51	0.00	839.63	1018.14	1673.02
3	यू. जे. वी. एन.	ऊर्जा	2021-22	2022-23	1372.68	0.00	0.00	1372.68	365.42	0.00	1719.75	2085.17	3457.85
4	कि. कॉ. लि.	ऊर्जा	2020-21	2021-22	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र)		ऊर्जा			3522.47	0.00	5.00	3527.47	551.76	0.00	3990.51	4542.27	8069.74
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ													
5	बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.	लोक निर्माण विभाग	2019-20	2020-21	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
6	डो. शु. कं. लि.	चीनी एवं गन्ना	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	6.00	127.99	0.00	3.15	131.14	137.14
7	कि. शु. कं. लि.	चीनी एवं गन्ना	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.45	17.99	119.32	0.00	0.00	119.32	137.31
8	उ. पू. सै. क. नि. लि.	समाज कल्याण	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
9	उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.	आवास विकास	2021-22	2022-23	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
10	दे. स्मा. सि. लि.	शहरी विकास	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.20	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
11	उ. प. वि. नि. लि.	सिंचाई	2020-21	2022-23	1.07	0.00	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1.07
उप-योग (विद्युत क्षेत्र से अन्य)					29.91	0.00	0.65	30.56	247.31	0.00	3.15	250.46	281.02
योग-अ					3552.38	0.00	5.65	3558.03	799.07	0.00	3993.66	4792.73	8350.76
ब	सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (स नि अ क)												
12	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	कृषि	2020-21	2021-22	1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50	23.58
योग-ब					1.20	0.00	2.88	4.08	19.50	0.00	0.00	19.50	23.58
स	निगम												
13	पेयजल निगम	पीने का पानी	2020-21	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47	75.47
14	उ. व. वि. नि.	वन	2019-20	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग-स					0.00	0.00	0.00	0.00	21.02	0.00	54.45	75.47	75.47
योग- (अ + ब + स)					3553.58	0.00	8.53	3562.11	839.59	0.00	4048.11	4887.70	8449.81

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2 एवं 5.3.2.2; पृष्ठ 147 एवं 154)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण (तीन साल या उससे अधिक के बकाया लेखे या निष्क्रिय थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए) को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)	7 (अ)	7(ब)	7(स)	7 (द)	8=6(द)+7(द)
सक्रिय रा सा क्षे उ													
अ	सरकारी कम्पनियाँ												
विद्युत क्षेत्र में रा सा क्षे उ													
1.	शून्य				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विद्युत क्षेत्र से अन्य रा सा क्षे उ													
1	उ. ब. वि. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	2008-09	2019-20	17.46	5.99	0.00	23.45	0.00	0.00	1.00	1.00	24.45
2	स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि.	उद्योग	2017-18	2021-22	26.00	0.00	2.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	28.50
3	कु. मं. वि. नि. लि.	पर्यटन	2005-06	2016-17	13.42	0.00	0.00	13.42	28.07	0.00	0.00	28.07	41.49
4	ग. मं. वि. नि. लि.	पर्यटन	2016-17	2022-23	6.64	0.00	0.00	6.64	0.00	0.00	10.31	10.31	16.95
5	उ. अ. क. व. वि. नि.* (जनवरी 2005 में समामेलित)	समाज कल्याण	--		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	उ. ई. टी. डे. कॉ.* (मार्च 2017 में समामेलित)	पर्यटन	--		0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
7	एस. प्ला. पा. लि.* (फरवरी 2020 में समामेलित)	उद्योग	--		0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
उप-योग (विद्युत क्षेत्र से अन्य)					63.57	5.99	7.50	77.06	28.07	0.00	11.31	39.38	116.44
योग- अ					63.57	5.99	7.50	77.06	28.07	0.00	11.31	39.38	116.44

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर इक्विटी				वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण				कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण)
					राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	
ब	सांविधिक निगम												
8	उ. प. नि.	परिवहन	2015-16	2017-18	229.36	9.24	0.00	238.60	97.02	0.00	55.33	152.35	390.95
9	उ. रा. भ. नि.	सहकारी	2018-19	2022-23	0.19	0.18	0.00	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
योग- ब					229.55	9.42	0.00	238.97	97.02	0.00	55.33	152.35	391.32
सक्रिय रा सा क्षे उ का योग- (अ + ब)					293.12	15.41	7.50	316.03	125.09	0.00	66.64	191.73	507.76
निष्क्रिय रा सा क्षे उ													
सरकारी उपक्रम													
10	हिलट्रॉन	उद्योग	2013-14	2017-18	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	8.95
11	यू. पी. ए. आई.	उद्योग	1988-89	1999-00	0.17	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
12	कुमट्रॉन	उद्योग	1989-90	1990-91	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
13	ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	2008-09	2018-19	0.20	0.00	0.30	0.50	1.00	0.04	0.17	1.21	1.71
14	कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	समाज कल्याण	1986-87	2002-03	0.22	0.00	0.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
15	ट्रां. के. लि.	उद्योग	1999-00	2002-03	0.00	0.00	1.63	1.63	2.75	0.00	0.00	2.75	4.38
16	उ. प्र. डि. लि.	उद्योग	1996-97	1997-98	0.00	0.00	0.35	0.35	1.40	18.52	0.00	19.92	20.27
17	उ. प्र. हि. फ़ो. लि.	उद्योग	-	-	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
18	उ. प्र. हि. क्वा. लि.	उद्योग	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निष्क्रिय रा सा क्षे उ का योग- (अ + ब)					9.54	0.00	2.77	12.31	5.15	18.56	0.17	23.88	36.19
कुल योग- (सक्रिय + निष्क्रिय)					302.66	15.41	10.27	328.34	130.24	18.56	66.81	215.61	543.95

* पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: प्रस्तर-5.2.1; पृष्ठ 148)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. को बजटीय सहायता दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	वर्ष 2019-20	वर्ष 2020-21 की	वर्ष 2021-22
		की सूचना	सूचना	की सूचना
		उ.स.	उ.स.	उ.स.
	विद्युत क्षेत्र			
	पूंजी			
1	उ. पा. कॉ. लि.	16.00	30.00	15.00
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	44.00	70.00	20.00
3	यू. जे. वी. एन.	73.19	42.59	65.91
	कुल पूंजी	133.19	142.59	100.91
	ऋण			
4	यू. जे. वी. एन.	12.18	30.42	40.08
	कुल ऋण	12.18	30.42	40.08
	उपदान			
5	उ. पा. कॉ. लि.	24.38	0.10	2.94
	कुल उपदान	24.38	0.10	2.94
	कुल योग	169.75	173.11	143.93
	विद्युत क्षेत्र से अन्य			
	पूंजी			
6	दे. स्मा. सि. लि.	0.15	0.00	0.00
	कुल पूंजी	0.15	0.00	0.00
	उपदान			
7	डो. शु. क. लि.	46.72	44.64	48.75
8	कि. शु. क. लि.	69.07	48.10	60.25
9	उ. मे. रे. अ. इं. बि. कं. कॉ. लि.	5.00	5.90	10.00
10	दे. स्मा. सि. लि.	74.00	5.00	115.00
11	पेयजल निगम	846.49	685.67	1028.31
12	उ. व. वि. नि.	0.00	0.00	2.00
	कुल उपदान	1041.28	789.31	1264.31
	विद्युत क्षेत्र से अन्य का योग	1041.43	789.31	1264.31
	विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र से अन्य का योग	1211.18	962.42	1408.24

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2.2; पृष्ठ 149)

30 सितंबर 2022 तक इक्विटी, ऋण और प्रत्याभूति के शेष के संबंध में उत्तराखंड सरकार के वित्त लेखों और रा. सा. क्षे. उ. के लेखों के बीच अंतर को दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	रा. सा. क्षे. उ. के अभिलेखों के अनुसार			उ. स. के वित्त लेखे के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 3-6	10 = 4-7	11 = 5-8
अ	विद्युत क्षेत्र के रा. सा. क्षे. उ.									
1	उ. पा. कॉ. लि.	1489.91	186.34 ²	24.49	1434.41	107.48 ³⁵	24.49	55.50	78.86	0.00
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	654.88	0.00	0.00	406.64	0.00	0.00	248.24	0.00	0.00
3	यू. जे. वी. एन.	1372.68	365.42	97.72	1661.74	272.56	97.72	-289.06	92.86	0.00
उप-योग- अ		3517.47	551.76	122.21	3502.79	380.04	122.21	14.68	171.72	0.00
ब	विद्युत क्षेत्र से भिन्न रा. सा. क्षे. उ.									
4	उ. प. नि.	229.36	97.02	0.00	134.42	215.47	0.00	94.94	-118.45	0.00
5	ग. मं. वि. नि. लि.	6.64	0.00	0.00	5.12	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
6	हिलट्रॉन	8.95	0.00	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	यू. पी. ए. आई.	0.17	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
8	उ. ब. वि. नि. लि.	17.46	0.00	0.00	16.95	0.00	1.25	0.51	0.00	-1.25
9	स्टे. इं. इं. डे. कॉ. उ. लि.	26.00	0.00	0.00	110.67	0.00	0.00	-84.67	0.00	0.00
10	बि. रो. ट. अ. इं. डे. कॉ. लि.	4.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
11	उ. प. वि. नि. लि.	1.07	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	-0.13	0.00	0.00
12	ग. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	0.20	1.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

² पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड का ऋण शामिल है।

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	रा. सा. क्षे. उ. के अभिलेखों के अनुसार			उ. स. के वित्त लेखे के अनुसार			अंतर		
		इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति	इक्विटी#	बकाया ऋण	बकाया प्रत्याभूति
13	कु. अ. ज. ज. वि. नि. लि.	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	कि. शु. कं. लि.	17.54	119.32	119.50	0.33	0.00	0.00	17.21	119.32	119.50
15	कु. मं. वि. नि. लि.	13.42	28.07	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	28.07	0.00
16	डो. शु. कं. लि.	6.00	127.99	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.99	77.00
उप-योग- ब		331.03	373.40	196.50	300.63	215.47	1.25	30.40	157.93	195.25
कुल योग (अ+ब)		3848.50	925.16	318.71	3803.42	595.51	123.46	45.08	329.65	195.25

शेयर आवेदन राशि जिसका आवंटन लंबित है को मिलाकर।

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.2.4; पृष्ठ 151)

31 मार्च 2022 को रा. सा. क्षे. उ. के निवल मूल्य में कमी दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों का वर्ष	रा. सा. क्षे. उ. के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार				रा. सा. क्षे. उ. द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार	
			कुल चुकता पूंजी	ब्याज, कर और लाभांश के बाद शुद्ध लाभ / हानि (-)	संचित हानि	निवल मूल्य	राज्य सरकार	
							इक्विटी	ऋण
	1	2	3	4	5	6=3+5	7	8
1	उ. पा. कॉ. लि.	2020-21	1474.91	(-)151.75	(-) 3851.01	(-) 2376.10	1489.91	7.83
2	डो. शु. क. लि.	2020-21	6.00	(-) 26.07	(-) 425.06	(-) 419.06	6.00	127.99
3	कि. शु. क. लि.	2020-21	17.99	(-) 16.65	(-) 314.66	(-) 296.67	17.54	119.32
4	उ. मे. रे. अ. इ. बि. कं. कॉ. लि.	2021-22	0.10	(-) 0.84	(-) 3.10	(-) 3.00	0.10	0.00
5	दे. स्मा. सि. लि.	2020-21	0.40	(-) 0.55	(-) 0.55	(-) 0.15	0.20	0.00
6	पेयजल निगम	2020-21	0.00	(-) 20.49	(-) 288.26	(-) 288.26	0.00	21.02
7	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	2020-21	4.08	2.57	(-) 24.84	(-) 20.76	1.20	19.50
	योग		1503.48	(-) 213.78	(-) 4907.48	(-) 3404	1514.95	295.66

परिशिष्ट-5.6

(संदर्भ: प्रस्तर- 5.3.2; पृष्ठ 152)

जिस अवधि के लिए लेखे बकाया हैं, उस अवधि के दौरान सक्रिय रा. सा. क्षे. उ. में राज्य सरकार के निवेश (इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी) की स्थिति को दिखाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग
सरकारी उपक्रम								
1	उ. पा. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	1474.91	15.00	0.00	2.94	17.94
2	पा. ट्रां. कॉ. उ. लि.	2020-21	2021-22	634.88	20.00	0.00	0.00	20.00
3	कि. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	बि. रो. ट. अ. इ. डे. कॉ. लि.	2019-20	2020-21 से 2021-22	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डो. शु. क. लि.	2020-21	2021-22	6.00	0.00	0.00	48.75	48.75
6	कि. शु. क. लि.	2020-21	2021-22	17.54	0.00	0.00	60.25	60.25
7	दे. स्मा. सि. लि.	2020-21	2021-22	0.20	0.00	0.00	115.00	115.00
8	उ. पू. सै. क. नि. लि.	2020-21	2021-22	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उ. प. वि. नि. नि. लि.	2020-21	2021-22	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उ. सी. त. डे. कॉ. लि.	2020-21	2021-22	1.20	0.00	9.50	0.00	9.50
11	उ. ब. वि. वि. नि. लि.	2008-09	2009-10 से 2021-22	8.43	9.03	0.00	0.10	9.13
12	स्टे. इ. इ. डे. कॉ. उ. लि.	2017-18	2018-19 से 2021-22	26.00	0.00	0.00	87.52	87.52
13	कु. मं. वि. नि. लि.	2005-06	2006-07 से 2021-22	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
14	ग. मं. वि. नि. लि.	2016-17	2017-18 से 2021-22	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	रा. सा. क्षे. उ. के नाम	नवीनतम अंतिम लेखों की अवधि	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	अंतिम रूप दिए गए नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूंजी	राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया निवेश जिसके लेखे बकाया हैं			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	योग
15	उ. ई. टी. डे. कॉ.#	--	2016-17 से 2021-22	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05
16	एस. प्ला. पा. लि.#	--	2020-21 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	उ. अ. क. व. वि. नि.#	--	2004-05 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (अ)				2200.29	44.08	9.50	314.56	368.14
सांविधिक निगम								
18	उ. प. नि.	2015-16	2016-17 से 2021-22	229.36	0.00	94.35	0.00	94.35
19	पेयजल निगम	2020-21	2021-22	0.00	0.00	0.00	1028.31	1028.31
20	उ. व. वि. नि.	2019-20	2020-21 से 2021-22	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
21	उ. रा. भ. नि.	2018-19	2019-20 से 2021-22	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (ब)				229.55	0.00	94.35	1030.31	1124.66
योग (अ + ब)				2429.84	44.08	103.85	1344.87	1492.80

#प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए

परिशिष्ट-6.1

शब्दावली

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
1.	राज्य के क्रियान्वयन अभिकरण	राज्य के कार्यान्वयन अभिकरण में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था जो राज्य में विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन आदि।
2.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	सकल राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल आय या चालू कीमतों पर श्रम और उत्पादन के सभी अन्य कारकों को प्रयुक्त करते हुए उत्पादित माल या सेवाओं के बाजार मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है।
3.	उत्प्लावकता अनुपात	उत्प्लावकता अनुपात आधारभूत चर में किए गए परिवर्तन के संदर्भ में राजकोषीय चर की तन्वयता अथवा प्रभावशीलता के स्तर को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता अन्तर्निहित करती है कि यदि स रा घ उ में एक प्रतिशत तक की वृद्धि होती है, तो राजस्व प्राप्तियाँ 0.6 प्रतिशतता बिन्दु तक वृद्धिगत होने का प्रयास करती हैं।
4.	आन्तरिक ऋण	इसमें मुख्यतः बाजार ऋण और राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा ल ब) को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।
5.	कोर पब्लिक एवं मेरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका इस आशय से सभी नागरिक लाभ लेते हैं कि ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के उपभोग से उसी वस्तु को दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था को लागू किया जाना, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं बचाव, प्रदूषण-मुक्त वायु एवं अन्य पर्यावरणीय वस्तुएँ तथा सड़कें इत्यादि। मेरिट गुड्स ऐसी वस्तुएँ हैं जिनको सार्वजनिक क्षेत्र मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि एक व्यक्ति अथवा समाज को उन्हें सरकार को भुगतान करने की क्षमता और इच्छा के बजाय आवश्यकता की किसी धारणा के आधार पर प्राप्त करना चाहिए और इसलिए वह उनके उपभोग को प्रोत्साहित करने की इच्छा रखता है। ऐसी वस्तुओं के उदाहरणों में गरीबों को पोषण में सहायक मुफ्त अथवा उपदानित दरों पर खाद्य सामग्री का प्रावधान, जीवन स्तर में सुधार करने एवं रूग्णता को कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सर्वजन को आधारभूत शिक्षा, पेयजल तथा स्वच्छता आदि प्रदान करना सम्मिलित है।
6.	विकासपरक व्यय	व्यय के आँकड़ों का विश्लेषण, विकासपरक और अविकासपरक व्यय में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा ऋण एवं अग्रिमों से सम्बन्धित सभी व्यय को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मोटे तौर पर, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासपरक व्यय को संस्थापित करती है जबकि सामान्य सेवाओं पर हुए व्यय को गैर विकासपरक व्यय के रूप में माना जाता है।

क्र.सं.	शब्द	व्याख्या
7.	ऋण वहन क्षमता	<p>ऋण वहन क्षमता को किसी समयवधि के सतत ऋण-जी डी पी अनुपात को बनाए रखने के राज्य के सामर्थ्य के रूप में परिभाषित किया गया है और इसे ऋण के शोधन की क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है।</p> <p>इसलिए ऋण वहन क्षमता चालू या वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल चालू परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और ऐसे ऋणों के प्रतिफल के साथ अतिरिक्त ऋणों की लागत के संतुलन को बनाए रखने की क्षमता को भी संदर्भित करता है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे की वृद्धि का ऋण चुकाने की क्षमता की वृद्धि के साथ मिलान होना चाहिए।</p>
8.	ऋण स्थिरीकरण	<p>स्थायित्व के लिए एक आवश्यक शर्त यह बताती है कि यदि अर्थव्यवस्था वृद्धि की दर लोक ऋणों की लागत या ब्याज दर से अधिक होती है तो ऋण-जी डी पी अनुपात भी स्थिर रहना चाहिए बशर्ते कि प्रारंभिक अवशेष या तो शून्य है या धनात्मक या लगभग नकारात्मक है। दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) और मात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार) ऋण वहन क्षमता की शर्तें बताती हैं कि यदि मात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा शून्य है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी तरफ यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ मात्रा विस्तार ऋणात्मक हो जाता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात उच्च हो जाएगा और धनात्मक होने की दशा में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात गिरेगा।</p>
9.	ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता (संसाधन अन्तराल)	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आच्छादित करने के लिए राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। ऋण वहन क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से सुविधाजनक बनाया जा सकता है, यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार और बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकते।</p>
10.	उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता	<p>कुल ऋण प्राप्ति से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के रूप में परिभाषित अनुपात है तथा यह सीमा इंगित करता है कि जहाँ तक ऋण प्राप्ति का उपयोग ऋण विमोचन के लिए किया गया। ऋण निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए।</p>
11.	ऋणोत्तर प्राप्ति	<p>बढ़ते हुए ब्याज दायित्वों व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को आवृत करने हेतु राज्य की बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति की पर्याप्तता। यदि बढ़ती हुई ऋणोत्तर प्राप्ति बढ़ते हुए ब्याज भार व बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें तो ऋण वहन क्षमता महत्वपूर्ण रूप से सुगम हो सकेगी।</p>
12.	निवल ऋण की उपलब्धता	<p>लोक ऋण पुनर्भुगतान, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण तथा लोक ऋण पर ब्याज अदायगी के सापेक्ष लोक ऋण प्राप्ति तथा ऋण एवं अग्रिम प्राप्ति का आधिक्य।</p>